

**विधान परिषद के प्रथम सत्र-2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-11 का उत्तर।**

प्रश्न

11 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय खण्ड, खोरावार जनपद-गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत कितनी नगर पंचायतें एवं नगर पालिका परिषद सम्मिलित हैं ?

(ख) उक्त पंचायतों एवं परिषदों के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 01 जनवरी, 2024 तक कितने पुराने मीटर बदले गये और उन मीटरों की रीडिंग यूनिट कितनी-कितनी थी ?

(ग) क्या उक्त अवधि में बदले गये पुराने मीटरों में अंकित यूनिटें लगाये गये नये मीटरों में फीड करके उक्त यूनिटों के अनुसार धनराशि की वसूली की गई ?

(घ) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की वसूली की गयी ?

(ङ) क्या उक्त अवधि में ओ0टी0एस0 योजना में अधिशासी अभियन्ताओं की आई0डी0 से अतिरिक्त ब्याज भी माफ किया गया ?

(च) यदि हाँ, क्या उपरोक्त तथ्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

उत्तर

खोराबार क्षेत्र जो नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत है, की विद्युत आपूर्ति विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय गोरखपुर द्वारा की जाती है। इसके अन्तर्गत कोई अन्य नगर पालिका अथवा नगर पंचायत नहीं है।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गोरखपुर के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से जनवरी, 2024 तक की अवधि तक बदले गये कुल 2369 मीटरों में कुल 143.50 लाख यूनिट रीडिंग प्राप्त हुई है।

उक्त अवधि में प्राप्त ऊर्जा खपत (यूनिट) को सम्बंधित उपभोक्ताओं के बिल में फीड कर दिया गया है एवं तदनुसार वसूली की गयी है।

बदले गये मीटरों एवं नये मीटरों की खपत के सापेक्ष रु0 7.89 करोड़ की वसूली की गयी है।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**